ग्राम पंचायत साई खारसी, विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

भाग–एक

1 **प्रस्तावना :–**

(क):– ग्याहरवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत साई खारसी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति कमला देवी	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्री राम लाल	23/01/2016 से 31/03/2016

सचिव :–

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्री रमेश कुमार	01.04.2013 से 20.11.2014
2	श्री ष्षशी कुमार	21.11.2014 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत साई खारसी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र॰ स0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्तशेष में अन्तर	1.70
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	––
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	1.01
4	9	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	0.16

5	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	8.03
6	11	निविदाओं के बिना किया गया क्रय	0.88
7	13.1	क्रय किए गए भण्डार का लेखांकन न करना	1.85

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत साई खारसी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 04/06/2016 से 14/06/2016 तक ग्राम पंचायत साई खारसी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 11/2013, 01/2015, 10/2015 व 07/2013, 03/2015, 03/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण षुल्क :—

ग्राम पंचायत साई खारसी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण षुल्क ₹5000/—बनता है। उक्त अंकेक्षण षुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को षीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015—16/—120 दिनांक 13/06/2016 द्वारा सचिव, पंचायत साई खारसी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :—

ग्राम पंचायत साई खारसी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :—

4.1 **स्व स्त्रोत :—** ग्राम पंचायत साई खारसी के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम षेष
2013.14	531227	615754	1146981	789694	357287
2014.15	357287	830076	1187363	867673	319690

2015.16	319690	669269	988959	848381	140578

4.2 **अनुदान :—** ग्राम पंचायत साई खारसी के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** तथा **2** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम षेष
2013.14	286618	3390590	3677208	3448414	228794
2014.15	228794	4008385	4237179	3712251	524928
2015.16	524928	8382745	8907673	8104229	803444

5 रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹169950 का भारी अन्तर :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत साई खारसी द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31—03—2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1,69,950/—का अन्तर बैंक खातों में अधिक षेष के रूप में है।

क्र•	खाता	अन्त षेष
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः—	
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' — पैरा 4(1)	140578.00
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' — पैरा 4(2)	803444.00
	कुल योग (क):	**944022.00**

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः—

	विवरण	बैंक	खाता	
1	सामान्य निधि	हि प्र रा स बैंक मलोखर	2202	14728.00
2	अनुदान खाता	हि प्र रा स बैंक मलोखर	2203	742648.00
3	13वां वित्तायोग	हि प्र रा स बैंक मलोखर	2154	77192.00
4	मिड हिमालय—1	हि प्र रा स बैंक मलोखर	2471	19261.00
5	मिड हिमालय—2 (अंशदान)	हि प्र रा स बैंक मलोखर	2472	7259.00
6	एस डी पी (ग्राम जलापूर्ती)	हि प्र रा स बैंक मलोखर	3351	46746.00
7	राजीव आवास योजना	हि प्र रा स बैंक मलोखर	2155	192155.00
8	इन्दिरा आवास योजना	हि प्र रा स बैंक मलोखर	4026	6410.00
9	मनरेगा	हि प्र रा स बैंक मलोखर	1286	0.00
10	संसदीय क्षेत्र विकास निधि	हि प्र रा स बैंक मलोखर	4025	6156.00
11	विधायक क्षेत्र विकास निधि	हि प्र रा स बैंक मलोखर	4028	0.00
12	प्राकृतिक आपदा निधि	हि प्र रा स बैंक मलोखर	4027	1417

कुल योग (ख): **1113972.00**

रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख): 169950.00

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड बहियों के अन्तशेष को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :–

6.1 **रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :–** ग्राम पंचायत साई खारसी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। पंचायत के लेखों की जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैं:–

6.1 **(क):–** हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत साई खारसी द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मध्य हिमालय जलागम परियोजना, मनरेगा, एस डी पी (ग्राम जलापूर्ती), राजीव आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना, संसदीय क्षेत्र विकास निधि तथा 13वां वित्तायोग के लिए आठ अलग– अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन आठ रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविश्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 **(ख):–** लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्शान्त में उपलब्ध हस्तगत षेष तथा बैंक षेष का विवरण हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत साई खारसी में रोकड़ बहियों के अन्त षेष निकालने का प्रयत्न तो किया गया है परन्तु यह अधूरा है क्योंकि इस अन्त षेष का मिलान बैंक खातों के साथ न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 **(ग):–** हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत साई खारसी में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित विभिन्न

योजनाओं के लिए अलग–अलग सात रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों को इकट्ठा करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 **नियमों के विरूद्ध बारह बैंक बचत खातों का खोला जाना :–** हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा **खाता 'ख'** में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत साई खारसी में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित बारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन दस अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 **खाता 'ख' के ₹1,00,981/–के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना :–** हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा **खाता 'ख'** में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत साई खारसी के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,00,981/– खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में **खाता 'क'** में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त **खाता 'क'** में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता			**माह/वर्ष**				**कुल ब्याज**
संख्या	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
2203	10679	7780	7470	7456	6375	11400	51160
2154	4954	3276	742	2154	3434	2739	17299
2471	219	222	227	1316	1402	579	3965
2472	129	131	134	136	140	143	813
3351	1451	1522	1234	1573	1507	1287	8574

2155	1282	1401	2406	750	1480	2569	9888
4026	133	408	139	324	148	126	1278
1286	1427	2399	1638	0	0	0	5464
4025	376	694	887	140	119	121	2337
4028	0	0	0	0	0	0	0
4027	69	26	26	27	27	28	203
कुल योग	**20719**	**17859**	**14903**	**13876**	**14632**	**18992**	**100981**

6.4 **क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करना :–** हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत साई खारसी द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश :–

सचिव ग्राम पंचायत साई खारसी द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान सावधि जमा (Fixed Deposit) में कोई निवेश नहीं किया गया था।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹16,470/–का वसूली हेतु षेष पाया जाना :–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत साई खारसी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया

गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व **₹16,470/–**की वसूली षेष थी।

<u>**गृहकर**</u> :– पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 597 के लिए मु• रु10 प्रति परिवार की दर से

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु षेष राशि
2013.14	––	5970.00	5970.00	0.00	5970.00
2014.15	5970.00	5970.00	11940.00	0.00	11940.00
2015.16	11940.00	5970.00	17910.00	1440.00	16470.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान की राशि ₹8.03 लाख का अवरोधन :–

पंचायत द्वारा परिशिष्ट–1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹8,03,444/– की राशि उपयोग हेतु षेष थी। यदि इन्हीं परिशिष्टों में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। जहां 31.03.2014 को यह ₹2.29 लाख थी वहीं 31–03–2016 तक यह बढ़कर ₹8.03 लाख हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की षर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹87,732/ के सामान का क्रय करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) **व 67(5)** द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹87,732/–के स्टाक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः यह क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से

नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	निधि	दिनांक	रो॰ ब॰ पृष्ठ	क्रय की गई सामग्री	राशि
1	सामान्य	29.8.14	15	फर्निचर	49996.00
2	13वां वित्तायोग	25.8.13	14	निर्माण सामग्री	18422.00
3	13वां वित्तायोग	20.9.13	16	निर्माण सामग्री	6014.00
4	13वां वित्तायोग	30.10.13	17	प्रिन्टर तथा स्कैनर	13300.00
					87732.00

12 दिनांक रहित रसीदें जारी करना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अधिकतर प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 भंडारण पुस्तकों (Stock/Store Registers) के रख–रखाव में त्रुटियां:–

13.1 क्रय किए गए स्थाई व अस्थाई भण्डार का भण्डारण पुस्तकों में इन्द्राज़ न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई अथवा अस्थाई प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत साई खारसी के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** पर संकलित लगभग ₹1,84,760/–के भण्डार को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया है। जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

13.2 भण्डारण पुस्तकों का रख रखाव उचित तरीके से न करना:– सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत साई खारसी में खरीदे गए सामान का इन्द्राज़ करते समय

उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा षेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त अब तक भण्डार पुस्तकों में दर्ज न किए गए उपरोक्त **पैरा 13.1** में वर्णित सामान का इन्द्राज़ किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

13.3 **प्रत्यक्ष सत्यापनः–** हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) ; – इद्ध
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 विविध अनियमितताएः–

15.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति

बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत साई खारसी द्वारा नहीं की जा रही है।

15.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

15.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत साई खारसी में इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम के विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाए।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 13/2016–खण्ड–1–4849'4852 दिनाँक 06.09.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत साई खारसी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर,, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

<u>परिशिश्ट–4</u>

स्टाक स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविश्टियां भण्डार पुस्तिकाओं में न करना (पैरा 13.1 13.2 में संदर्भित)ः–

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृश्ठ	विवरण	राशि
	सामान्यः–			
1	27.7.13	10	रेत	12075.00
2	6.7.13	10	दरवाजे व खिड़कियां	7191.00
3	7.7.13	10	लेखन सामग्री	200.00
4	18.9.13	16	लेखन सामग्री	1345.00
5	2.11.13	21	सीमेन्ट	113412.00
6	21.11.13	23	बिजली का सामान	321.00
7	21.11.13	23	रूम हीटर	480.00
	13वां वित्तायोगः–			
8	29.8.13	14	रेत	12000.00
9	25.8.13	14	निर्माण सामग्री	18422.00
10	20.9.13	16	निर्माण सामग्री	6014.00
11	30.10.13	17	प्रिन्टर तथा स्कैनर आदि	13300.00
			कुल योगः	**<u>184760.00</u>**